"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."

पंजीयन क्रमांक "छत्तीसगढ़/दुर्ग/तक. 114-009/2003/20-01-03."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 26] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 29 जून 2007—आषाढ़ 8, शक 1929

विषय—सूची

भाग १

राज्य शासन के आदेश

सामान्य प्रशासन विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 12 जून 2007

क्रमांक ई-7-11/2004/1/2.—श्री पी. सी. दलेई, सचिव, महामहिम राज्यपाल तथा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/खेल एवं युवा कल्याण विभाग को दिनांक 11-06-2007 से 15-06-2007 तक (05 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 09,10-06-2007 एवं 16,17-06-07 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री दलेई आगामी आदेश तक सचिव, महामहिम राज्यपाल तथा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/खेल एवं युवा कल्याण विभाग के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2007.

3. अवकाश काल में श्री दलेई को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री दलेई अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री दलेई के अवकाश अवधि में सचिव, महामहिम राज्यपाल तथा सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी/खेल एवं युवा कल्याण विभाग का चालू कार्य श्री एस. के. कूजुर, सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, जल संसाधन/तकनीकी शिक्षा, जनशक्ति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा सम्पादित किया जायेगा.

रायपुर, दिनांक 15 जून 2007

क्रमांक ई-7-48/2004/1/2.—श्री गौरव द्विवेदी, प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ, रायपुर को दिनांक 18-06-2007 से 29-06-2007 तक (12 दिवस) का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है. साथ ही दिनांक 16,17, 30 जून, 2007 एवं 01 जुलाई, 2007 के शासकीय अवकाश को जोड़ने की अनुमति भी दी जाती है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री द्विवेदी आगामी आदेश तक प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ, रायपुर के पद पर पुन: पदस्थ होंगे.

3. अवकाश काल में श्री द्विवेदी को अवकाश वेतन भत्ता एवं अन्य भत्ते उसी प्रकार देय होंगे, जो उन्हें अवकाश पर जाने से पूर्व मिलते थे.

4. प्रमाणित किया जाता है कि यदि श्री द्विवेदी अवकाश पर नहीं जाते तो अपने पद पर कार्य करते रहते.

5. श्री द्विवेदी के अवकाश अवधि में प्रबंध संचालक, नागरिक आपूर्ति निगम का चालू कार्य श्री एम. एन. प्रसाद राव, महाप्रबंधक, नागरिक आपूर्ति निगम एवं प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ, रायपुर का चालू कार्य डॉ. संजय अलंग, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, छ. ग. राज्य विपणन संघ, रायपुर द्वारा सम्पादित किया जावेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
के. के. बाजपेयी, उप-सचिव.

रायपुर, दिनांक 8 जून 2007

क्रमांक 325/538/2007/1-8 स्था. —श्री एल. पी. दाण्डे, अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग को दिनांक 3-5-2007 से 18-5-2007 तक 16 दिवस का अर्जित अवकाश स्वीकृत किया जाता है.

2. अवकाश से लौटने पर श्री एल. पी. दाण्डे को अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर पुन: पदस्थ किया जाता है.

3. अवकाश अवधि में उन्हें अवकाश वेतन एवं भत्ता उसी प्रकार देय होगा, जो उन्हें अवकाश पर जाने के पूर्व मिलता था.

4. प्रमाणित किया जाता है कि श्री एल. पी. दाण्डे अवकाश पर नहीं जाते तो अवर सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, उच्च शिक्षा विभाग के पद पर कार्य करते रहते.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विजय कुमार सिंह, अवर सचिव.

खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 13 जून 2007

क्रमांक एफ 1-8/खाद्य/2004/29 .—राज्य शासन, विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 31 जनवरी, 2004 में आंशिक संशोधन करते हुए, एतद्द्वारा छत्तीसगढ़ स्टेट सिविल सप्लाईज कार्पोरेशन लिमिटेड, रायपुर के संचालक मण्डल में मनोनीत अशासकीय सदस्य माननीय श्री संजीव शाह के स्थान पर माननीय श्री भरत साय, विधायक, तपकरा को संचालक के रूप में मनोयन करता है.

2. शेष अशासकीय संचालक पूर्वानुसार ही रहेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एस. अनन्त, विशेष सचिव.

आवास एवं पर्यावरण विभाग
मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 20 जून 2007

क्रमांक 1092/1205/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए गीदम निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

गीदम निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम गीदम एवं हारम ग्रामों की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम हाउरनार एवं गीदम ग्रामों की पूर्वी सीमा तक.
दक्षिण में	:	ग्राम हारम एवं हाउरनार ग्रामों की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम हारम की पश्चिमी सीमा तक.

रायपुर, दिनांक 20 जून 2007

क्रमांक 1095/1207/32/07.—छत्तीसगढ़ नगर तथा ग्राम निवेश अधिनियम, 1973 (क्रमांक 23 सन् 1973) की धारा 13 (1) के अधीन राज्य शासन एतद्द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए सुकमा निवेश क्षेत्र का गठन करती है, जिसकी सीमाएं निम्न अनुसूची में परिनिश्चित की गई है.

अनुसूची

सुकमा निवेश क्षेत्र की सीमाएं

उत्तर में	:	ग्राम सुकमा की उत्तरी सीमा तक.
पूर्व में	:	ग्राम शबरी नदी की पूर्वी सीमा तक .
दक्षिण में	:	ग्राम सुकमा की दक्षिणी सीमा तक.
पश्चिम में	:	ग्राम सुकमा की पश्चिमी सीमा तक.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एस. एस. बजाज, विशेष सचिव.

ऊर्जा विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 19 जून 2007

क्रमांक 1009/ऊ. वि./अपारं. ऊ./2007.—ऊर्जा विभाग द्वारा जारी अधिसूचना क्र. 2325/ऊ. वि./अपारं. ऊ./2005, दिनांक 18 अगस्त 2005 की कंडिका (2) (1) में निम्नानुसार आंशिक संशोधन किया जाता है :-

"सौर फोटोवोल्टेईक संयंत्रों से विद्युतीकृत ग्रामों में घरेलू हितग्राहियों से रु. 30/- प्रतिमाह के स्थान पर रु. 05/- प्रतिमाह की दर से विद्युत उपभोग शुल्क प्राप्त किया जायेगा."

उक्त संशोधन 01 अप्रैल 2007 से प्रवृत्त हुए समझे जायेंगे.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल टुटेजा, संयुक्त सचिव.

आदिमजाति तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग

मंत्रालय, दाऊ कल्याण सिंह भवन, रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक / 3918/4036/25-2/आजाविं/2007.—इस विभाग के क्रमांक/डी-6167/4036/25-2/आजावि/2004 दिनांक 17 सितम्बर, 2004 द्वारा स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार नियम, 2004 जारी किया गया था. उपर्युक्त पुरस्कार नियमावाली के अनुसार स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना करने वाले किन्हीं दो व्यक्तियों को दिया जाता है. पुरस्कार के तहत प्रति वर्ष दो व्यक्तियों को रु. 1.00 लाख नगद प्रति व्यक्ति पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है.

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ/11-3/2005/1/5 दिनांक 17-4-07 के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त नियमों में आंशिक संशोधित करते हुए आदेशित करता है कि स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में उर्दू साहित्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय साहित्यिक रचनाओं तथा साहित्य साधना करने वाले किसी एक व्यक्ति को प्रदान किया जावेगा तथा चयनित व्यक्ति को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

3. उपर्युक्त अनुसार स्व. हाजी हसन अली पुरस्कार नियम, 2004 में जहाँ-जहाँ व्यक्तियों, दो व्यक्तियों अथवा प्रति व्यक्ति अंकित है के स्थान पर एक व्यक्ति पढ़ा जावेगा तथा संबंधित अन्य शब्दों एवं वाक्यांशों को भी एक व्यक्ति के लिए प्रयुक्त होने वाले आशय से ग्रहण किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक / 3920/89/25-2/आजावि/2007.—इस विभाग के क्रमांक/डी-6169/4036/89/2004/आजावि दिनांक 17 सितम्बर, 2004 द्वारा गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान नियम, 2004 जारी किया गया था उपर्युक्त पुरस्कार नियमवली के अनुसार छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किन्हीं दो व्यक्तियों/संस्थाओं को उक्त पुरस्कार दिया जाता है. पुरस्कार के तहत प्रति वर्ष दो व्यक्तियों/संस्थाओं को रु. 1.00 लाख नगद प्रति व्यक्ति/संस्था को पुरस्कार राशि प्रदान की जाती है.

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ/11-3/2005/1/5 दिनांक 17-4-07 के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा, उपर्युक्त नियमों में आंशिक संशोधित करते हुए आदेशित करता है कि "गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान" छत्तीसगढ़ राज्य में सामाजिक चेतना जागृत करने तथा दलित वर्गों के उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति/संस्था को प्रदान किया जावेगा तथा चयनित व्यक्ति/संस्था को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 2.00 लाख (रुपये दो लाख मात्र) का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

3. उपर्युक्त अनुसार गुरु घासीदास सामाजिक चेतना तथा दलित उत्थान सम्मान नियम, 2004 में जहाँ-जहाँ व्यक्तियों/संस्थाओं, दो व्यक्तियों/संस्थाओं अथवा प्रति व्यक्ति/संस्थाओं अंकित है के स्थान पर एक व्यक्ति/संस्था पढ़ा जावेगा तथा संबंधित अन्य शब्दों एवं वाक्यांशों को भी एक व्यक्ति/संस्था के लिए प्रयुक्त होने वाले आशय से ग्रहण किया जावेगा.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक / 6168/426/25-2/आजावि/2007.—इस विभाग के क्रमांक/डी-6168/89/ आजावि/2004 दिनांक 17 सितम्बर, 2004 द्वारा शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान नियम, 2004 एवं संशोधन दिनांक 24-3-07 को जारी किया गया था. उपर्युक्त पुरस्कार नियमावली के अनुसार शहीद वीर नारायण सिंह स्मृति सम्मान छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले किसी एक व्यक्ति को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 1.00 लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ/11-3/2005/1/5 दिनांक 17-4-07 के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा उपर्युक्त नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए पुरस्कार राशि रु. 1.00 लाख के स्थान पर रुपये 2.00 (रुपये दो लाख मात्र) प्रतिस्थापित करता है.

रायपुर, दिनांक 14 जून 2007

क्रमांक / 476/25-2/आजावि/2007.—इस विभाग के समसंख्यक आदेश दिनांक 2-4-07 द्वारा स्व. डॉ. भँवर सिंह पोर्ते आदिवासी सेवा सम्मान नियम, 2007 जारी किया गया था. उपर्युक्त पुरस्कार नियमावली के अनुसार स्व. डॉ. भँवर सिंह पोर्ते स्मृति पुरस्कार छत्तीसगढ़ राज्य में आदिवासी सामाजिक चेतना जागृत करने तथा उनके उत्थान के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली किसी एक संस्था को पुरस्कार राशि के रूप में रु. 1.00 लाख का नगद पुरस्कार तथा प्रशस्ति पत्र दिया जावेगा.

2. छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक/एफ/11-3/2005/1/5 दिनांक 17-4-07 के अनुपालन में राज्य शासन, एतद्द्वारा उपर्युक्त नियमावली में आंशिक संशोधन करते हुए पुरस्कार राशि रु. 1.00 लाख के स्थान पर रुपये 2.00 (रुपये दो लाख मात्र) प्रतिस्थापित करता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
अनिल चौधरी, उप सचिव.

राजस्व विभाग

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्रमांक-10/अ 82/2006-07/सा-1-सात.—चूंकि राज्य शासन को यह प्रतीत होता है कि इससे संलग्न अनुसूची के खाने (1) से (4) में वर्णित भूमि की अनुसूची के खाने (6) में उसके सामने दिये गये सार्वजनिक प्रयोजन के लिये आवश्यकता है अथवा आवश्यकता पड़ने की संभावना है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 4 की उपधारा (1) के उपबन्धों के अनुसार सभी संबंधित व्यक्तियों को इसके द्वारा इस आशय की सूचना दी जाती है कि राज्य शासन, इसके द्वारा अनुसूची के खाने (5) में उल्लेखित अधिकारी को उक्त भूमि के संबंध में उक्त धारा 4 की उपधारा (2) द्वारा दी गई शक्तियों का प्रयोग करने के लिए प्राधिकृत करता है. राज्य शासन यह भी निर्देश देता है कि उक्त अधिनियम की धारा 5 (अ) के उपबन्ध उक्त भूमि के संबंध में लागू नहीं होंगे, क्योंकि उसकी राय में उक्त अधिनियम की धारा 17 की उपधारा (1) के उपबन्ध उसके संबंध में लागू होते हैं :-

अनुसूची

भूमि का वर्णन				धारा 4 की उपधारा (2) के द्वारा प्राधिकृत अधिकारी	सार्वजनिक प्रयोजन का वर्णन
जिला	तहसील	नगर/ग्राम	लगभग क्षेत्रफल (एकड़ में)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
बिलासपुर	बिल्हा	तोदरी	10.52	कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग (भ./स.) सं. क्र.-1 बिलासपुर.	माननीय उच्च न्यायालय छ. ग. के आवास गृह निर्माण हेतु.

भूमि का नक्शा (प्लान) अ. वि. अ. (राजस्व) बिलासपुर के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला राजनांदगांव, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

राजनांदगांव, दिनांक 11 जून 2007

क्रमांक/4506/भू-अर्जन/2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-राजनांदगांव
- (ख) तहसील-राजनांदगांव
- (ग) नगर/ग्राम-तेलीटोला, प. ह. नं. 09
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.240 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	31/4	0.048
	219/2	0.112
	198/3	0.080
योग	3	0.240

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मोंगरा बैराज परियोजना के बॉयी तट मुख्य नहर/ लघु नहर निर्माण हेतु अनुपूरक.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी एवं भू-अर्जन अधिकारी मोहला, जिला राजनांदगांव के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
संजय गर्ग, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला जांजगीर-चाम्पा, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन राजस्व विभाग

जांजगीर-चाम्पा, दिनांक 30 मई 2007

क्रमांक 62.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) संशोधित भू-अर्जन अधिनियम, 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-जांजगीर-चाम्पा
- (ख) तहसील-जैजेपुर
- (ग) नगर/ग्राम-झालरौदा, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.258 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	232/2	0.085
	233/3	
	299/3	0.008
	297/2	0.097
	1097/1	0.016
	1071/2	0.012
	1128/1 घ	0.032
	1427/4	0.008
योग	7	0.258

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-झालरौदा वितरक नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, हसदेव परियोजना, जॉजगीर के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
बी. एल. तिवारी, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला कबीरधाम, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

प्र. क्र. 6 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-दामापुर, प. ह. नं. 07
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.110 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
53/1	0.166
53/3	0.008
53/2	0.400
44/2, 54/2	0.081
60/2	0.324
84, 85/2	0.187
60/3	0.284
87/1, 87/3	0.142
86	0.158
85/1	0.142
67	0.008
93/4	0.028
254	0.085
256	0.056
255	0.101
262	0.421
263/1	0.073
277/1	0.178
388/2	0.069
277/2	0.114
279/2	0.223
379/1, 379/2	0.251
388/1	0.028
386/5, 396/5	0.276
388/3	0.036
386/1 क	0.093
396/3	0.113
397	0.065
योग 28	4.110

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-अपर आगर व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

प्र. क्र. 9 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
 (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
 (ख) तहसील-पण्डरिया
 (ग) नगर/ग्राम-देवसरा, प. ह. न.- 04
 (घ) लगभग क्षेत्रफल-64.577 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
58/1	0.304
306/1	0.741
308/1	0.125
310/1	0.146
58/3	0.308
308/3	0.129
310/3	0.146
12	3.480
25	0.291
13	1.032
18	2.063
23/1 ग	0.182
45	0.308
46/3	0.178
16	0.825
17	0.696
28	0.753
35	1.513
64	0.708
19	2.169
20/1	0.275
55/1	0.243
20/2	0.275
55/2	0.263
22	0.397
26	0.032
27/2	0.053
32	2.136
36	2.396
23/1 क	0.360
46/1	0.356
23/1 ख	0.182
46/2	0.178
23/1 घ	0.287
313	0.312
23/2	0.713
355/2	0.461

(1)	(2)
24	0.769
355/1	0.360
309	0.837
29	0.765
30	1.092
31/1	0.688
351/1	0.433
31/2	0.688
351/2	0.433
33	0.320
37	0.729
53	0.878
34	0.749
47/2	0.231
38	0.417
39	0.741
40	0.729
294	0.198
295	0.364
358	0.984
41	0.939
71/2	0.036
42	0.040
354	0.817
43	0.012
44	0.846
47/1	0.231
48/1	1.684
299/1	0.809
48/2	0.506
56/1	0.833
299/2	0.243
49	0.477
50	0.587
302	0.486
51/1	0.202
51/3	0.692
9/1	0.296
51/2	0.883
303/1	0.239
52	0.676
353	0.648
373/1	0.202
54	0.866
56/2	0.837
57	0.898
293	0.890
58/2	0.304
300	0.963
306/2	0.405
308/2	0.129
310/2	0.146
59	0.433
372	0.421
60	0.364
61	0.263
62	0.372
296	0.377
352	0.466
373/2	0.660
297	0.227
298	0.644
303/2	0.239
304	0.291
305	0.348
306/2	0.405
311	0.628
314	1.603
355/3	0.389
374/2	0.304
67	0.065
70	0.211
10	0.324
9/3	0.300
योग 111	64.577

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-देवसरा जलाशय निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

रा. प्र. क्र. 10 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-डोंगरिया कला, प. ह. न. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.279 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
27	0.117
28	0.065
29/2	0.016
29/1	0.036
29/3	0.081
33	0.016
31/2	0.020
32/2	0.162
418	0.057
45/1 क, 45/2	0.089
442	0.113
439	0.012
438	0.081
436	0.089
435	0.053
427	0.012
434	0.016
429	0.012
430	0.150
422	0.109
428	0.016
419/1	0.085
579	0.040
417	0.016
416	0.036
386/1	0.081
387/1	0.040
381	0.049
378	0.040
379	0.028
380/2	0.012
376	0.012
371/1	0.069
371/2	0.069
370/2	0.024
367	0.097
368	0.097
366/1	0.020
366/2	0.069
666/2	0.073
योग 40	2.279

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के नहर निर्माण से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

रा. प्र. क्र. 11 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
- (ख) तहसील-पण्डरिया
- (ग) नगर/ग्राम-सरईपतेरा, प. ह. नं. 11
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-2.394 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
22/1	0.093
21/2	0.020
21/1	0.158
31	0.028
27	0.081
28	0.016
29	0.045
13	0.040
49/2	0.036
12	0.032
11/1	0.049
58	0.024
11/6	0.028
11/2	0.032
11/7	0.057
42	0.028
43/1	0.077
155/1	0.020
43/2	0.036
51/2	0.036
59	0.077
72/4	0.069
73	0.053

(1)	(2)
74	0.073
50/3	0.040
72/5	0.045
75	0.287
49/1	0.040
161	0.089
155/2	0.089
159	0.077
158/2	0.057
158/1	0.085
202	0.101
205	0.073
201	0.016
206	0.077
209/3	0.057
218	0.061
योग 39	2.394

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के सरईपतेरा माइनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

कबीरधाम, दिनांक 4 जून 2007

रा. प्र. क्र. 12 अ/82-06-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 संशोधित 1984 की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
   (क) जिला-कबीरधाम (छ. ग.)
   (ख) तहसील-पण्डरिया
   (ग) नगर/ग्राम-पाण्डातराई, प. ह. न. 11
   (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.265 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
23/1	0.032
29	0.008
24/1	0.012
24/2	0.073
24/3	0.020
26	0.081
27	0.077
46	0.032
28/1	0.008
30	0.065
31	0.065
45	0.089
47/1	0.045
47/2	0.065
50	0.134
53/1	0.243
53/2	0.190
537	0.016
63/4	0.016
518/5	0.077
63/1	0.040
63/2	0.073
477/6	0.142
510	0.020
511	0.142
63/3	0.097
513/2	0.020
480	0.012
481	0.121
477/1	0.146
477/2	0.138
477/3	0.166
477/5	0.053
476/7	0.097
475/2	0.113
476/6	0.057
461/3	0.016
475/1	0.085
470	0.061
467/3	0.036
474	0.024
373/11	0.045
373/1	0.093
373/2	0.069
373/6	0.069
469	0.016
373/10	0.045

(1)	(2)	(1)	(2)
452/1	0.223	1179/1 ग	0.093
449	0.085	53/1	0.040
447	0.032	54	0.198
448	0.020	56/1	0.073
377	0.202	56/2	0.057
423	0.016	57	0.243
445/1	0.032	59/3	0.012
445/2	0.036	58	0.081
432	0.069	76/1	0.105
433	0.077	75/1	0.073
434	0.065	150	0.097
436	0.101	118	0.073
438	0.045	74	0.081
441/2	0.032	115/2	0.085
414	0.275	119/1	0.012
422/2	0.101	137/1	0.008
413/1	0.020	147	0.053
422/1	0.101	148	0.097
424	0.045	117/1	0.057
780/3	0.138	151	0.069
780/4	0.134	146/1	0.016
1138	0.093	149/2	0.020
781	0.109	780/3	0.036
782	0.020	780/5	0.053
1178/1	0.097	780/5	0.053
1178/3	0.085	785/2	0.036
1178/2	0.069	798/1	0.093
1120	0.069	786	0.081
1121	0.012	1078/1	0.049
1124/3	0.081	787	0.146
1124/2	0.073	799	0.081
1125/1	0.105	1078/4	0.073
1143/2	0.032	1078/5	0.073
1177	0.016	1078/2	0.077
1133	0.020	1115/4	0.069
1135	0.012	1079/1	0.105
1134	0.081	1079/4	0.101
1136	0.081	785/3	0.040
1137/1	0.186	1051	0.158
1151	0.113	1079/3	0.049
1152/1	0.032	1050/1	0.049
1143/1	0.045	1050/3	0.053
1153	0.012	1050/8	0.089
1155/1	0.077	1050/9	0.085
1155/2	0.069	1050/10	0.117
1179/1 क	0.093	1050/11	0.028

(1)	(2)
1030/2	0.036
1030/1	0.065
1031/2	0.045
1032	0.049
1033/3 क	0.036
1033/2	0.085
1033/4	0.089
1179/1 ख	0.190
1182	0.053
1181/2	0.057
1224/1	0.077
1225	0.130
1223	0.158
1221	0.069
1220	0.186
1211	0.032
1196/1	0.219
1201/1	0.109
1201/2	0.113
1202/1	0.077
1212/2	0.028
योग 160	12.265

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-घोघरा व्यपवर्तन के माइनर नहर से प्रभावित.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का अनुविभागीय अधिकारी राजस्व के कार्यालय में देखा जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सोनमणि बोरा, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला रायपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

रायपुर, दिनांक 28 मई 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/क्र-2 अ/82 वर्ष 06-07/338.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक एक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-शिकारीकेशली, प. ह. नं. 47/26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.105 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	484	0.105
योग	1	0.105

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है तिथीडीह जलाशय निर्मित योजना के स्पील चैनल निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जनअधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 29 मई 2007

क्रमांक/क/भू-अर्जन/क्र-1 अ/82 वर्ष 06-07/339.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है.. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-रायपुर
(ख) तहसील-सिमगा
(ग) नगर/ग्राम-भोथीडीह, प. ह. नं. 47/26
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.093 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
	238 276	0.073
	277	0.020
योग	2	0.093

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है - तिथीडीह जलाशय निर्मित योजना के नहर निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी, भाटापारा के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अविअ/प्र. क्र./15/अ/82 वर्ष 06-07/.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-रायपुर
- (ग) नगर/ग्राम-भाठागांव, प. ह. नं. 105
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-1.508 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	1018/2	0.129
	1017	0.243
	1015	0.202
	1226	0.530
	1227	0.129
	1016	0.105
	1220	0.032
	1225	0.138
योग	08	1.508

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता हैं-खारून नदी पर पुल के लिए पहुंच मार्ग हेतु भू-अर्जन.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक/क/वा./भू. अ./अविअ/प्र. क्र./16/अ/82 वर्ष 06-07/.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-तिल्दा
- (ग) नगर/ग्राम-तरपोंगी, प. ह. नं. 3
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.154 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	171/2	0.150
	161/2, 163/1	0.004
योग	3	0.154

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-कोल्हान नाला सेतु तरपोंगी खैर खुट मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन अधिकारी एवं अनुविभागीय अधिकारी, रायपुर के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र. क्र. 05 अ/82 वर्ष 06-07/.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-ओडान, प. ह. नं. 33
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-15.550 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
243/24	0.053
243/29	0.150
69/2	0.404
71/2	0.371
71/1	0.160
194/1	0.420
193	0.690
72/1	0.180
190/2	0.101
243/15	0.004
243/18	0.130
164/5	0.040
243/22, 243/31	0.080
243/30	0.410
164/11	0.097

(1)	(2)
73/2	0.024
69/1	0.928
240/1	0.044
191/2	0.405
191/1	0.004
192/2,4	0.181
243/38	0.101
163/7	0.052
316	0.560
163/4	0.004
163/6	0.182
71/3	0.008
218/10	0.065
218/1 ख	0.090
150/1	0.665
218/20	0.032
243/17	0.232
218/18	0.040
218/12	0.188
218/13	0.017
228/1	0.303
242	0.004
150/2	0.062
77/3	0.101
218/1 ग	0.074
218/6	0.076
243/4	0.008
78/3	0.101
79	0.375
215/1	0.092
218/4	0.085
167	0.214
192/1	0.105
163/5	0.152
70/3	0.090
310/1	0.173
243/36	0.426
159	0.105
164/2	0.073
164/9	0.312
215/3	0.049
164/4	0.004
191/3	0.112
164/8	0.040
227/1	0.061
227/6	0.229
227/7	0.045
72/2	0.784
215/2	0.128
78/1	1.106
243/23	0.032
78/2	0.062
240/2	0.255
240/3	0.024
189	0.101
190/3	0.110
218/2	0.060
243/37	0.008
151/3	0.080
158	0.040
191/4	0.158
164/3	0.032
164/7	0.033
164/10	0.049
211/1	0.004
212/1	0.390
212/2	0.048
218/3 क	0.090
218/15	0.216
227/2	0.012
243/45	0.522
73/1	0.040
243/20	0.161
243/25	0.081
215/4	0.262
योग 90	15.550

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, बलौदा बाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

रायपुर, दिनांक 4 जून 2007

क्रमांक/अविअ/भू-अर्जन/प्र. क्र. 07 अ/82 वर्ष 06-07/.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-रायपुर
- (ख) तहसील-पलारी
- (ग) नगर/ग्राम-चौरहाडीह, प. ह. नं. 31
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-12.121 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
53/4	0.263
53/6	0.303
58/2 ख	0.130
59/2 ख	0.121
77	0.052
1	0.012
8/1घ	0.044
78	0.020
66/3	0.097
66/5	0.125
536	0.004
46	0.061
490	0.343
65	0.158
44/2	0.048
44/3	0.020
494/2	0.040
529/1 530/1	0.153
529/5 529/6	0.321
529/3 529/7	0.178
51/1	0.040
52/2	0.243
524	0.097
8/1 ग	0.320
520	0.028
485/1	0.060
485/3	0.153
484	0.060
514/12	0.130
514/3	0.202
62	0.012
49/6	0.303
53/5	0.243
525	0.024
411/1	0.097
506/1	0.101
409	0.110
412	0.024
59/2 ग	0.141
64/2	0.045
59/2 क	0.008
521/1	0.004
64/1	0.020
411/2	0.081
411/4	0.109
44/1	0.150
88/1	0.008
514/3	0.044
514/11	0.020
526	0.008
53/2	0.162
8/3	0.303
45	0.138
49/4 क 49/4 ख	0.348
522	0.028
523	0.315
47	0.141
56/1 57/1	0.606
63	0.137
48/3	0.097
404	0.056
413/1	0.080
49/3	0.525
50	0.081
75/1	0.032
75/8, 9	0.068
410/1	0.020
8/1 ख	0.303
80/1	0.060
486/3	0.057
486/5, 6	0.101
508/2	0.020
519	0.020
487/2	0.343
489/1	0.181
48/2	0.121
518	0.077
486/1	0.101
486/4	0.032
494/3	0.008
56/2 57/2	0.405
529/4 530/6	0.303
531	0.239
8/1 क	0.008
508/1	0.202
517	0.077
48/1	0.012
527/1 775	0.192
411/3	0.105
411/6	0.024
58/2 क	0.130
53/3	0.210
76	0.134
507	0.141
योग 94	12.121

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-राजीव संवर्धन (समोदा व्यपवर्तन) योजना के द्वितीय चरण के अन्तर्गत मुख्य नहर के निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण भू-अर्जन एवं अनुविभागीय अधिकारी, बलौदाबाजार के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
विकासशील, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

कार्यालय, कलेक्टर, जिला बिलासपुर, छत्तीसगढ़ एवं पदेन उप-सचिव, छत्तीसगढ़ शासन, राजस्व विभाग

बिलासपुर, दिनांक 5 अप्रैल 2007

क्रमांक 6/ अ -82/03-04.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-कोटा
(ग) नगर/ग्राम-पंड़रापथरा
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.170 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	254	0.170
योग	1	0.170

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-मझवानी कोटा मार्ग निर्माण हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (रा.) कोटा के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

क्र. 1 अ -82/2006-07.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (क्रमांक 1 सन् 1894) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
गौरव द्विवेदी, कलेक्टर एवं पदेन सचिव.

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-लोरमी
(ग) नगर/ग्राम-ढोलगी, प. ह. नं. 5
(घ) लगभग क्षेत्रफल-0.028 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	142	0.028
योग	1	0.028

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-भरत सागर जलाशय नहर क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, राजस्व एवं भू-अर्जन अधिकारी, लोरमी के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

रा. प्र. क्र. 4 अ 82-2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
(क) जिला-बिलासपुर
(ख) तहसील-मुंगेली
(ग) नगर/ग्राम-भूलनकापा, प. ह. नं. 33
(घ) लगभग क्षेत्रफल-2.793 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
634/1	0.279
635	
636	
637/2	
642	
633/4	0.032
640	0.121
641/2	0.081
641/1	0.008

(1)	(2)
644	0.012
656	0.113
656	0.097
663/1	0.056
658	0.146
651	0.008
655	0.049
654	0.085
498, 500	0.101
653	0.154
497	0.012
499	0.077
486	0.117
483	0.105
423	0.150
402/4	0.267
402/5, 757/2	0.081
402/6, 757/1	0.049
427, 756/1	0.061
430	0.036
428, 429	0.061
433	0.057
396	0.016
434	0.040
392, 393, 394	0.160
योग 31	2.793

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

रा. प्र. क्र. 7 अ 82-2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बरबसपुर, प. ह. नं. 16
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.085 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
1	0.085
योग 1	0.085

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

रा. प्र. क्र. 8 अ 82-2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अत: भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-बूचीपारा, प. ह. नं. 03
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.955 हेक्टेयर

खसरा नम्बर (1)	रकबा (हेक्टेयर में) (2)
28/4	0.130
42	0.053
39	0.239
28/1	0.362
40	0.161
योग 5	0.955

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-आगर व्यपवर्तन योजना के शाखा नहर हेतु.

(3) भूमि का नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी, (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

रा. प्र. क्र. 14 अ 82-2006-2007.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-किरना, प. ह. नं. 17
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-0.162 हेक्टेयर

	खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
	(1)	(2)
	12/12	0.162
योग	1	0.162

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-टेसुवा व्यपवर्तन योजना के डूबान क्षेत्र हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

बिलासपुर, दिनांक 24 मई 2007

रा. प्र. क्र. 27 अ 82-2002-2003.—चूंकि राज्य शासन को इस बात का समाधान हो गया है कि नीचे दी गई अनुसूची के पद (1) में वर्णित भूमि की अनुसूची के पद (2) में उल्लेखित सार्वजनिक प्रयोजन के लिए आवश्यकता है. अतः भू-अर्जन अधिनियम, 1894 (संशोधित अधिनियम सन् 1984) की धारा 6 के अन्तर्गत इसके द्वारा यह घोषित किया जाता है कि उक्त भूमि की उक्त प्रयोजन के लिए आवश्यकता है :—

अनुसूची

(1) भूमि का वर्णन-
- (क) जिला-बिलासपुर
- (ख) तहसील-मुंगेली
- (ग) नगर/ग्राम-भठली, प. ह. नं. 34
- (घ) लगभग क्षेत्रफल-4.329 हेक्टेयर

खसरा नम्बर	रकबा (हेक्टेयर में)
(1)	(2)
91	0.081
92, 93	0.113
98	0.101
97	0.166
123, 124	0.134
105	0.150
110	0.134
276, 287	0.117
108/1	0.178
108/2	0.032
226, 227	0.134
125	0.178
207	0.085
494	0.016
209	0.117
210	0.121
289	0.158
338	0.085
212/2	0.085
329	0.004
214	0.077
222	0.004
223	0.093
225	0.146
339	0.138
248	0.089
249	0.121
327	0.020
250	0.004
277,278	0.057
286	0.053
285	0.045
215/1	0.040
284/2, 284/3	0.008
284/1	0.028
293	0.004
288	0.117
292	0.162
291/2	0.004
322/2	0.016
328/1	0.057
303/2, 303/3	0.028
332	0.024
296/1	0.097
322/1	0.065
301/1	0.004
302/1	0.235
301/2	0.016
321/1	0.085

(1)	(2)
296/3	0.004
322/3	0.020
330/2	0.097
339	0.032
340	0.004
337	0.069
333	0.057
331	0.004
126	0.016
योग 57	4.329

(2) सार्वजनिक प्रयोजन जिसके लिए आवश्यकता है-पथरिया व्यपवर्तन योजना के मुख्य नहर हेतु.

(3) भूमि के नक्शा (प्लान) का निरीक्षण अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व), मुंगेली के कार्यालय में किया जा सकता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
सुबोध कुमार सिंह, कलेक्टर एवं पदेन उप-सचिव.

उच्च न्यायालय के आदेश और अधिसूचनाएं

HIGH COURT OF CHHATTISGARH, BILASPUR

Bilaspur, the 13th June 2007

No. 3925/ L. G./2007/II-2-/39/2004.— Shri Arvind Kumar Shrivastava, District & Sessions Judge, Raigarh is hereby, granted earned leave for 6 days from 25-06-2007 to 30-06-2007 and permission to prefix holiday of 24-06-2007 & suffix holiday of 01-07-2007 along with the permission to remain out of headquarters after the Court hours on 23-06-2007 to before the Court hours on 02-07-2007.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Shrivastava, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 240+09 days of earned leave are remaining in his leave account.

Bilaspur, the 15th June 2007

No. 3989/ L. G./2007/II-2-43/2004.— Shri Prabhat Kumar Shastri, District & Sessions Judge, Janjgir-Champa (C. G.) is hereby, granted earned leave for 6 days from 18-06-2007 to 23-06-2007 along with the permission to leave headquarters from 16-06-2007 to 24-06-2007.

During the period of earned leave, he shall be entitled to leave salary equal to pay drawn immediately before proceeding on leave as aforementioned.

Certified that if Shri Prabhat Kumar Shastri, had not proceeded on leave as aforementioned then he would have been working on the same post.

After deduction of the aforementioned leave, 221 days of earned leave are remaining in his leave account.

By order of the High Court,
HEERA SINGH MARKAM, Registrar General.